


तारीख हुक्म

केदार vs रामचंजन  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
सुट नं०. 273/23 टी.।.

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुक्म की तामील  
में जारी हुए


16-10-25

पत्रावली पेश डेमे वकील प्राची उपा  
तलमाना पेश गरी निम्न तल अखतार  
तलमाना पेश करने हे आरे निम्न पेश  
के तलमाना पेश होने पर गतनी 11-12-25 को  
की प्राचा पत्रावली से 11-12-25 को  
पेश के 

11.12.25

पत्रावली उत्तुल हेडा वकील प्राची उपा  
है। अध्यागिन ने नोटेस लेने के इन्कर किया  
है अतः अध्यागिन के विरुद्ध एक तच्छा कार्यवाही  
की गयी है।

प्राचीगिन के वकील उत्तुल भागने के अध्यागि  
जग के विरुद्ध अध्यागि निषेधना जारी करने  
का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपरोक्त  
अप्रिलेज का अपलोकन किया गया। प्रादभूत  
शुद्धि क्र. नं० 2188 खबरा 0.23 ग्राम पुष्पवारा,  
प्राचीगिन की जाले गरी की शुद्धि हे जो नकल  
पत्रावली संकेत 2025 के 2037 आता तं० नं० 66  
विधित है। प्राचीगिन द्वारा उत्तुल प्रा. फल अध्यागि  
निषेधना के अन्तर्गत अध्यागिन ने दिनांक  
25/11/2023 को प्राचीगिन को वास्तव शुद्धि  
पर पब्लिश करण करने की धमकी दी है। अतः  
प्राचीगिन के पक्ष में अध्यागि निषेधना अध्यागि  
किया जाना उचित है।

अतः प्राचीगिन द्वारा उत्तुल प्रा. फल अध्यागि  
निषेधना स्वीकार किया जाकर अध्यागिन की  
जारी अध्यागि निषेधना से पाबन्ध किया  
जाता है कि वे प्राचीगिन की जाले गरी शुद्धि  
सं. नं० 2188 खबरा 0.23 हे० ग्राम पुष्पवारा  
तह. वपीपुर के कब्जे काश्त में मूल वाड के  
निस्तारण तक किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न  
नही करे। पत्रावली के तल मुता. लेकर नकल  
के कम ही एवं वाड तकनीक मूल वाड के साथ  
संलग्न है। 

उप जिला कलेक्टर  
वजीरपुर

